

प्रेषक,

डा. मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-2

देहरादून: दिनांक: 22 मई, 2018

विषय:-जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को अनुदान में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर चमोली के पत्र संख्या-29/ज.बू.स./3-4/2018-19, दिनांक-12 अप्रैल 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017 XXVIII(1)/2018, दिनांक: 02 अप्रैल 2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-29 की योजना "09-जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को अनुदान" के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में प्राविधानित ₹ 5.50 करोड़ के सापेक्ष प्रथम चरण की धनराशि ₹2.75 करोड़(रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

3- उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017 XXVIII(1)/2018, दिनांक: 02 अप्रैल 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- किसी भी शासकीय व्यय हेतु "प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017" वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T) विभाग के शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

6- कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0-8 पर प्राप्त करते हुए व्यय की नियमित समीक्षा करते हुए व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय। बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त विभाग एवं बजट निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

कमश:-2

- 7- योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा-निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को उनकी माँग के आधार पर यथा प्रकिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 9- स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।
- 10- यदि किसी योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0खाते में जमा की गयी है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाये, तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायें।
- 11- मानक मद 20 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग होने का उपयोगिता प्रामाण उपलब्ध कराने पर ही द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म, 119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 09-जड़ी-बूटी शोध संस्थान को अनुदान की योजना, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।
- 13- यह आदेश वित्त विभाग के शा0 पत्र संख्या: 15/XXVII(4)/2018, दिनांक: 08 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्या- (1)/XVI-2/18/7(16)/2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2-निदेशक, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली।
- 3-जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
- 4-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रानीखेत/चमोली, उत्तराखण्ड।
- 5-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 6-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 7-वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एन.उप्रेती)
उप सचिव।